



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

### NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-871/MP/5/2022-ESDW

दिनांक: 24.01.2023

सेवा में,


डॉ. इलैयाराजा टी.,  
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,  
जिला-इंदौर  
नवीन प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला,  
इंदौर - पिन 452007  
मध्य प्रदेश  
ई-मेल: dmindore@nic.in

विषय: आदिवासियों के रोजगार के संबंध में - श्री कालूसिंह भकवाना, वीर एकलव्य रहवासी कल्याण सहकारी समिति, भारतीय कृषि खेत खलिहान मजदूर संघ, ग्राम भड़किया, निहालपुर मुंडी, तहसील-राउ, जिला-इंदौर, मध्य प्रदेश का दिनांक 13.09.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को - श्री कालूसिंह भकवाना से दिनांक 13.09.2022 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

  
(एच.आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री कालूसिंह भकवाना,  
वीर एकलव्य रहवासी कल्याण सहकारी समिति,  
भारतीय कृषि खेत खलिहान मजदूर संघ,  
ग्राम भड़किया, निहालपुर मुंडी,  
तहसील-राउ, जिला-इंदौर,  
मध्य प्रदेश

100%  
जारी किया  
1803-9  
28/1/23